फर्द अहकाम

भारत बैरवा बनाम राजस्थान सरकार

SDO II सांगानेर

460/25

…आज्ञा या …कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
…6/25	प्रार्थी ने प्रा०पत्र धारा 111, 128 राज०भू-राजस्व अधिनियम बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, स्वीकार व पत्रावली पेश किया। प्रार्थी का प्रा०पत्र 111 व 128 LR Act पर बहस सुनी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा 111 व 128 LR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया। पत्रावली नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 460/2025
निर्णय दिनांक : 04.06.2025

उनवानी

1. भरत बैरवा पुत्र श्री नारायण बैरवा जाति बैरवा निवासी प्लाट नं. 18, महात्मा गॉधी नगर , डी.सी.एम. अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान जयपुर।

वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सागांनेर, जिला जयपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत् धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्थायी निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढी

निर्णय

दिनांकः 04.06.2025

दावा बाबत् धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्थायी निषेधाज्ञा , सीमाज्ञान व पत्थरगढी का पेश किया है जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू.अ.नि. भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर स्थित हैं, जो कि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्पूर्ण दर्ज हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर बिना किसी बाधा व हस्तक्षेप के उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा की ओर लगती हुई भूमि पर अन्य खातेदारों द्वारा आये दिन वाद विवाद उत्पन्न किया जाता रहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर के उत्तर दिशा में अन्य खातेदारों द्वारा विधिवत स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किये बिना ही निर्माण कार्य करने पर आदामा है। प्रार्थी ने खातेदारों को प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर की उत्तर दिशा की सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये बिना ही लगवा खातेदार गैर कानूनी तरीके से कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करे अकृषि भूमि अर्थात आवासीय कॉलोनी विकसित करने पर आमादा है। जिसके लिए खातेदारों ने मौके पर रोड़ डाल दी, तब प्रार्थी ने खातेदारों को वादग्रस्त भूमि पर रोड़ डालने तथा निर्माण कार्य करने हेतु तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि बनाने से पूर्व ही विधिवत स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाने का अनुरोध किया तो खातेदार स्थायी सीमा चिन्ह विनिर्मित करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहां कि हम किसी भी प्रकार के स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित नहीं करवायेगें और पडौसी खातेदारों ने जबरिया गैर कानूनी तौर तरीके से प्रार्थी की कृषि भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उत्तर दिशा की ओर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया हैं। प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार आये दिन प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी ना किसी बात को लेकर विवाद करते रहते हैं। जिससे परेशान होकर प्रार्थी ने अप्रार्थी के समक्ष सीमाज्ञान एवं पत्थर गढ़ी हेतु दिनांक 21.05.2025 को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हैं। जिस पर अप्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान हेतु किसी भी प्रकार से कार्यवाही नहीं की गई हैं। प्रार्थी ने दिनांक 21.05.2025 को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0. 1562 हैक्येटर भूमि पर तारबन्दी करने लगा तो पडौसी खातेदार एक राय होकर आये और प्रार्थी की हो रही तारबन्दी को करने से रोकने का प्रयास किया । प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान के साथ ही पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं अतिआवश्यक हैं। जिससे प्रार्थी को पड़ौसी खातेदारों से सीमाओं को लेकर किसी प्रकार से. वाद विवाद उत्पन्न ना हो। पड़ौसी खातेदारों से सीमा को लेकर किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी जरिये अप्रार्थी के माध्यम से पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश सादर प्रदान करें।

अतः वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कि अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जाकर पत्थर गढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया पत्रावली सीधे ही बहस हेतु नियत की गई

वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यो को दोहराया व अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कि अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जाकर पत्थर गढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील वादी की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पहुॅचे है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू.अ.नि. भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर स्थित हैं, जो कि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्पूर्ण दर्ज हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर बिना किसी बाधा व हस्तक्षेप के उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा की ओर लगती हुई भूमि पर अन्य खातेदारों द्वारा आये दिन वाद विवाद उत्पन्न किया जाता रहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर के उत्तर दिशा में अन्य खातेदारों द्वारा विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किये बिना ही निर्माण कार्य करने पर आदामा है। प्रार्थी ने खातेदारों को प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर की उत्तर दिशा की सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये बिना ही लगवा खातेदार गैर कानूनी तरीके से कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करे अकृषि भूमि अर्थात आवासीय कॉलोनी विकसित करने पर आमादा है। वादी ने पडौसी खातेदारो के समक्ष उपस्थित होकर तहसीलदार सांगानेर के समक्ष आवेदन पेश कर करवाने का आग्रह किया तो आपसी सहमति से सीमाज्ञान करवाने से इन्कार कर दिया। वादी द्वारा पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली में पेश नही की गई है। ऐसी स्थिति में सीमा निर्धारण नही किया जा सकता है। वादी सर्वप्रथम पैमाईश हेतु तहसीलदार सांगानेर के समक्ष आवेदन पेश करे।

अतः दावा बाबत् धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्थायी निषेधाज्ञा , सीमाज्ञान व पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू.अ.नि. भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/244 रकबा 0.1562 हैक्येटर में वादी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार सांगानेर टीम गठीत करके सीमाज्ञान करे। सीमाज्ञान हो जाने के पश्चात उभयपक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी कायम करे। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्वन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। जब तक वादग्रस्त आराजीयात में जब तक सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी कायम नही हो जाये तब तक पडोसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार से दखल नही दे व किसी भी प्रकार से कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर